स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2015-2016) से अधिक व्यय

[समिति के 88वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

लोक लेखा समिति

(2019-20)

छठा प्रतिवेदन

17वीं लोक सभा

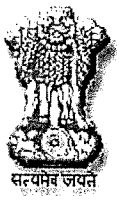

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

पीएसी सं. 2187

छठा प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2019-20)

(17वीं लोक सभा)

स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2015-16) से अधिक व्यय

[समिति के 88वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

04 FEB 2020

.....को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

.....को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

फरवरी, 2020/ माघ, 1941 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ

लोक लेखा समिति (2019-20) की संरचना ..... (iii)

प्राक्कथन ..... (iv)

अध्याय - एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय- दो*	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	
अध्याय- तीन*	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	
अध्याय - चार *	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है	
अध्याय - पांच*	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर भेजे हैं	

परिशिष्ट*

एक.	लोक लेखा समिति (2019-20) की 28 जनवरी, 2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश
दो.	लोक लेखा समिति के 88वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाइ का विश्लेषण

* प्रतिवेदन की साइक्लोस्टाइल प्रति में संलग्न नहीं ।

लोक लेखा समिति की संरचना

(2019-20)

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
5. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री अजय मिश्र टेनी
8. श्री जगदम्बिका पाल
9. श्री विष्णु दयाल राम
10. श्री राहुल रमेश शेवाले
11. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री जयंत सिन्हा
14. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
15. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

16. श्री राजीव चन्द्रशेखर
17. प्रो. एम.वी. राजीव गौड़ा
18. श्री नरेश गुजराल
19. रिक्त*
20. श्री सी.एम. रमेश
21. श्री सुखेन्दु शेखर राय
22. श्री भूपेन्द्र यादव

लोक सभा सचिवालय

1. श्री टी.जी. चंद्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री एम. एल. के. राजा - निदेशक
3. श्रीमती अंजू कुकरेजा - उप सचिव

*05 अगस्त, 2019 को अपना इस्तीफा दिए जाने के कारण श्री भुवनेश्वर कालिता समिति के सदस्य नहीं रहे।

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2019-20) का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर" **स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2015-16) से अधिक व्यय**" विषयक समिति के 88वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह छठा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. 88वां प्रतिवेदन 09.02.2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था । इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार के उत्तर प्राप्त हो गए थे । लोक लेखा समिति ने .....जनवरी, 2020 को हुई अपनी बैठक में छठे प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया । बैठक का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट-एक में दिया गया है ।

3. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

4. समिति, इस विषय के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग हेतु उनकी सराहना करती है ।

5. 88वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण *परिशिष्ट-दो* में दिया गया है ।

नई दिल्ली;
30 जनवरी, 2020
10 **माघ, 1941 (शक)**

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति ।

प्रतिवेदन
भाग-एक

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2015-16)" विषयक समिति के 88वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में हैं।

2. 88वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) जो 09.02.2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, इसमें 10 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं । संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सभी टिप्पणियों/ सिफारिशों के संबंध में की गई कार्यवाही टिप्पणं प्राप्त हो गये हैं और इन्हें मोटे तौर पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:-
पैरा सं. 1-10

कुलः 10

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

पैरा सं -**शून्य**

कुलः शून्य

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

पैरा सं -**शून्य**

कुलः शून्य

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर भेज दिए हैं।

पैरा सं -**शून्य**

कुलःशून्य

अध्याय-पांच

एक.वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया अधिक व्यय

सिफारिश (पैरा सं. 1)

3. समिति ने अपने 88वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में यह नोट किया था कि अनुदानों/विनियोगों के आठ मामलों में से अधिक व्यय दर्शाने वाले आठ मामलों में 286.24 करोड़ रू. (वर्गीकरण से पूर्व) का कुल अधिक व्यय किया गया था। समिति ने यह भी नोट किया था कि अधिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा सिविल पक्ष अर्थात् 210.37 करोड़ रू. था जो वर्ष 2015-16 के दौरान, किए गए कुल अधिक व्यय का 73.49 प्रतिशत है। समिति ने आगे यह पाया कि सिविल पक्ष में किया गया लगभग पूरा अधिक व्यय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) का था जिसने राजस्व- स्वीकृत खंड की अनुदान सं. 15 के तहत 210.22 करोड़ रू. का अधिक व्यय किया जो कि वर्ष 2015-16 के दौरान, किए गए कुल अधिक व्यय का 73.44 प्रतिशत था। रेल मंत्रालय द्वारा संचालित अनुदानों / विनियोगों के मामले में, 75.87 करोड़ रूपए का अधिक व्यय जो कुल अधिक व्यय का 26.51 प्रतिशत था, छह अनुदानों / विनियोगों के तहत किया गया था। समिति ने पाया कि विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से संबंधित अधिकारी एक के बाद एक कई वर्षों से निरंतर अधिक व्यय किए जा रहे हैं। समिति इस स्थिति को चिंता के साथ देखती थी और जोर देती है कि वित्त मंत्रालय को राजकोष से व्यय को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करना चाहिए। व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, समिति ने अपने 36वें प्रतिवेदन (16 वीं लोकसभा) ने प्रत्येक मंत्रालय / विभाग में सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विशेषज्ञ समूह का गठन करने की सिफारिश की थी जो उन मामलों का एक गहन अध्ययन करें जहां पिछले पांच वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन से अधिक व्यय किया गया था। यह देखते हुए की सरकार द्वारा इस संबंध में

कोई कदम नहीं उठाए गए थे, समिति ने अपने 68वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में पुनः इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक मंत्रालय में ऐसा विशेषज्ञ समूह गठित किया जाए और तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए जिसमें ऐसे उच्च अधिक व्यय के कारण और भविष्य में उसे दूर करने के सुझाव उल्लखित किए गए हों। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है । समिति इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई करने में दो वर्ष से अधिक के विलंब पर असंतोष व्यक्त करते हुए दुखी है और वह चाहती है कि वित्त मंत्रालय इस मामले में जिम्मेदारी तय करें और समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में बताए।

4. अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने निम्नवत बताया:-

" लोक लेखा समिति द्वारा अपने 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिश के अनुसरण में, और वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय के संबंध में अपने 68वें प्रतिवेदन में यह दोहराया था कि, व्यय विभाग ने दिनांक 28.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12(7)/ई.कार्डि/2017 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक विशेषज्ञ ग्रुप बनाने के अनुदेश जारी किए थे, जिसके अनुदान/विनियोग अत्यधिक व्यय के थे, निरंतर अतिरिक्त व्यय के कारण की जांच करने के लिए और समिति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसके निष्कर्ष समिति को प्रस्तुत करें।

5. इसके उत्तर में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

" मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समिति की टिप्पणियों के संबंध में की-गई-कार्रवाई को की गई कार्रवाई टिप्पण में शामिल करे कि वित्त मंत्रालय को राजकोष पर सख्त नियंत्रण करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र बनाना चाहिए। मंत्रालय से यह भी अपेक्षा है कि वह की-गई-कार्रवाई टिप्पणों में इसे भी

शामिल करे, हरेक मंत्रालय/विभाग में विशेषज्ञ समूह का गठन न करने के लिए जवाबदेही निर्धारित करने के मुद्दे पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण में शामिल करे ताकि लोक लेखा समिति का बेहतर मूल्यांकन हो सके।

6. इसके संदर्भ में, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने निम्नवत बतायाः-

" 20.06.2018 को अधिक व्यय की समीक्षा करने के लिए मंत्रीमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया गया जो यह उपाय सुझाएगा कि इस तरह के अतिरिक्त व्यय को कैसे रोका जा सके। इस समूह को आरंभ में नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ फाइनेन्सियल मैनेजमेंट द्वारा किए गए अध्ययन से अवगत कराया जाए।

7. इसके अलावा, उपर्युक्त सिफारिश के संबंध में अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में रक्षा मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत बतायाः-

"नियंत्रण के उपाय के रूप में, रक्षा मंत्रालय को यह परामर्श दिया गया है कि वह अपना बजट तैयार करने के लिए रक्षा पेंशन के बजट प्राक्कलन अधिकारियों से अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इसके अलावा,अपने 68वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा यह सिफारिश किया गया था कि एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के बजट नियंत्रण प्राधिकारी शामिल हो साथ ही सीजीए (व्यय विभाग) के अधिकारी भी शामिल हो ताकि बजटीय प्रक्रिया की खामियों की पहचान की जा सके और इनको दूर किया जा सके ताकि अनुदानों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की बार बार होने वाली स्थिति से बचा जा सके। समिति की निम्नलिखित सेवा शर्तें हैः-

8. समिति नोट करती है कि उनकी एक पहले की रिपोर्ट में की गई उनकी सिफारिश के अनुसरण में वित्त मत्रालय ने अधिक व्यय की समीक्षा करने और ऐसे अधिक व्यय की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने के उपाय करने व इसके लिए मेकैनिज्म बनाने की सिफारिश करने के निमित्त 20.06.2018 को कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है। अधिक व्यय की समस्या को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए समिति यह विश्वास जताती है कि यह उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयी समूह समीक्षा के अपने कार्य में तेजी लाएगा और भविष्य अधिक व्यय से बचने के विवेकपूर्ण उपाय करने की सिफारिश करते हुए अति शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । समिति चाहती है कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा इस संबंध में किए जा रहे अध्ययन के परिणामों और इस अध्ययन को पूरा करने में अमूमन कितना समय लगेगा उससे समिति को अवगत कराया जाए । समिति यह भी चाहती है कि रक्षा मंत्रालय इसकी निगरानी और सेनाओं के उप-प्रमुखों को जारी निर्देश का ईमानदारी से अनुपालन सुनिश्चित करे जिससे कि यह व्यय अनुमोदित सीमा में हो सके ।

(दो) <u>बार-बार अधिक व्यय</u>

(सिफारिश पैरा सं. 4)

9. किए गए अधिक व्यय की संवीक्षा से पता चला था कि सिविल मंत्रालय / विभाग और रेल मंत्रालय, पिछले दस वित्तीय वर्षों से लगातार अधिक व्यय कर रहे थे। हालांकि,, यह देखा गया था कि वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान सिविल मंत्रालयों / विभागों और रेल मंत्रालय द्वारा किए गए अधिक व्यय में काफी गिरावट आई थी। यह भी देखा गया था कि 2015-16 के दौरान, रेल मंत्रालय द्वारा किया गया अधिक व्यय पिछले सात वर्षों यानी 2008-09 से 2014-15 तक सबसे कम था। समिति ने वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्तीय वर्ष

2015-16 के दौरान, अधिक व्यय कम होने पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की थी। लेकिन समिति ने विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा किए गए अधिक व्यय के निरंतर मामलों के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की थी। अतः समिति चाहती थी कि सरकार अपने बजटीय कार्य में अधिक सतर्क रहे तथा बहुत सावधानी और गहनता के साथ व्यय पैटर्न की निगरानी करे ताकि भावी वर्षों में इस तरह के मामलों और अधिक व्यय की मात्रा को, यदि पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता तो कम से कम न्यूनतम ही कर दिया जाए।

10. समिति को यह भी पता चला था कि रक्षा मंत्रालय ने अनुदान संख्या 22- रक्षा पेंशन के राजस्व प्रभारित भाग के अंतर्गत वर्ष **2011-12** से **2015-16** तक बार-बार अधिक व्यय किया। रक्षा और रेल मंत्रालयों द्वारा संचालित उपर्युक्त अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अधिक व्यय की बार-बार होने वाली घटनाओं पर समिति द्वारा बार-बार चिंता व्यक्त किए जाने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने अपने 36वें प्रतिवेदन में इच्छा व्यक्त की थी कि केबिनेट सचिव और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया जाए। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित अनुदानों के अंतर्गत बार-बार अधिक व्यय को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपने 68वें प्रतिवेदन में इच्छा व्यक्त की थी कि रक्षा मंत्रालय अपनी बजटीय प्रक्रिया में कमियों का पता लगाने और रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित अनुदानों के अंतर्गत अधिक व्यय की बार-बार होने वाली घटनाओं को टालने के लिए इन्हें दूर करने हेतु रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के बजट नियंत्रण करने वाले प्राधिकारियों और सीजीए (व्यय विभाग) के अधिकारियों को मिलाकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करे। इस बात की प्रशंसा करते हुए कि इसकी उक्त सिफारिश पर अमल करते हुए बजटीय प्रक्रिया में कमियों की पहचान करने के लिए एएस एंड एफए (अधिग्रहण) की अध्यक्षता में थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, आईडीएस डीजीएएफएमएस के प्रतिनिधि और आर्थिक कार्य विभाग तथा सीजीए के

प्रतिनिधियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, समिति चाहती थी कि भविष्य में रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित अनुदानों के अंतर्गत बार-बार होने वाले अधिक व्यय की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उस उच्च स्तरीय समिति के निष्कर्षों/सिफारिशों से उसे अवगत कराया जाए।

11. अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने निम्नवत बताया:-

" लोक लेखा समिति द्वारा की गई टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है। निवेदन यह है कि रक्षा मंत्रालय की बजटीय प्रक्रिया में कमियों का पता लगाने और रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित अनुदानों के अंतर्गत अधिक व्यय की बार-बार होने वाली घटनाओं को टालने के लिए इन्हें दूर करने हेतु रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के बजट नियंत्रण करने वाले प्राधिकारियों और सीजीए (व्यय विभाग) के अधिकारियों को मिलाकर बनाया गया एक विशेषज्ञ समूह व्यय विभाग द्वारा दिनांक 28.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12(7)/ई.कार्डि/2017 के द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार है।

12. अपनी संवीक्षित टिप्पणियों में लेखा परीक्षा ने निम्नवत बताया:-

" जैसाकि लोक लेखा समिति द्वारा इच्छा व्यक्त की गई थी, मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित अनुदानों के अंतर्गत बार-बार अधिक व्यय की प्रवृति को रोकने के लिए उच्च स्तरीय समिति के निष्कर्षों/सिफारिशों को की गई कार्रवाई टिप्पण में शामिल करे ।"

13. लेखापरीक्षा की संवीक्षित टिप्पणियों के उत्तर में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने निम्नवत बताया:-

" अधिक व्यय की समीक्षा करने और बार-बार ऐसे अधिक व्यय को रोकने के लिए उपायों तथा तंत्र की सिफारिश करने के लिए 20.06.2018 को मंत्रीमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है ।"

14. समिति की उपर्युक्त सिफारिश पर अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में रक्षा मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत बताया:-

".. . . . जैसाकि समिति द्वारा अपने 68वें प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है, बजटीय प्रक्रिया में कमियों का पता लगाने और अनुदानों के अंतर्गत अधिक व्यय की बार-बार होने वाली घटनाओं को टालने के लिए इन्हें दूर करने हेतु रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के बजट नियंत्रण करने वाले प्राधिकारियों और सीजीए (व्यय विभाग) के अधिकारियों को मिलाकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। 2017 से अब तक उच्च स्तरीय समिति की 03 बैठकें हो चुकी हैं जिनमें रक्षा सेवा प्राक्कलन में अधिक व्यय के कारणों और रक्षा पेंशन के अंतर्गत बार-बार अधिक व्यय और इन्हें न्यूनतम करने के तरीकों पर चर्चा की गई है। दूसरी बैठक के बाद रक्षा सचिव ने सेनाओं के उप-प्रमुखों को एक पत्र लिखा था जिसमें सेना मुख्यालयों के सभी बजट धारकों को व्यय को अनुमोदित सीमा के भीतर रखने का निर्देश दिया गया था। "

15. समिति यह नोट कर चिंतित है कि न तो वित्त मंत्रालय ने और न ही रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के तहत प्रचलित अनुदानों के तहत अधिक व्यय की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने के उच्चस्तरीय समिति के निष्कर्षों / सिफारिशों को प्रस्तुत किया है । समिति, मंत्रालयों को लंबे समय तक संकट में डालने वाली ऐसी बुरी घटना की ओर दोनों ही मत्रालयों के शिथिल व उदासीन रवैये पर अपनी नाराजगी जाहिर करती है। समिति पहले की गई अपनी सिफारिश को दुहराती है और रक्षा मत्रालय से इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि वह अपनी ओर से संचालित अनुदानों / विनियोजन के विभिन्न उप-शीर्षों के तहत अपनी बजटीय आवश्यकताओं का वास्तविक आकलन सुनिश्चित करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करे जिससे कि विद्यमान चूकों/कमियों का पता लगाया जा सके और अधिक व्यय से बचने के लिए प्रभावी उपचारात्मक उपाय किए जा सके । समिति एक बार पुनः यह चाहती है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित अनुदानों के तहत अधिक व्यय की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए उच्चस्तरीय समिति के निष्कर्षों / सिफारिशों से उसे अवगत कराया जाए ।

—

8 —

नई दिल्ली,
30 जनवरी, 2020
10 माघ, 1941 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति
लोक लेखा समिति ।

परिशिष्ट - दो

(देखिए, प्राक्कथन का पैरा -पांच)

लोक लेखा समिति के 88वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

एक.	टिप्पणियों/सिफारिशों की कुल संख्या	10
दो.	टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:	कुल: 10
	सिफारिश पैरा सं. 1 से 12	प्रतिशत: 100%
तीन.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	कुल: 0
		प्रतिशत: 0%
	पैरा सं. शून्य	
चार.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:	कुल:0
		प्रतिशत: 0%
	पैरा सं. शून्य	
पांच.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर भेजे हैं :	कुल: 0
		प्रतिशत: 0%
	पैरा सं. शून्य	